न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

पीठासीन अधिकारी सुश्री शिवाक्षी खांडल(आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर(मु0)
राजस्व प्रार्थना पत्र 15/2016 (07/2021)
दूदा वगै. बनाम शिवकुमारी वगै.

उपस्थितः– श्री लक्ष्मणनाथ योगी अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री लोकेन्द्र सिंह राजावत अभिभाषक अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

दिनांक 18.08.2023

प्रार्थना पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि वादी/प्रार्थीगण राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 09.02.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त वाद खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया जिसके संलग्न यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ज्ञाना पुत्र श्री गुल्ला के वारिसान है एवं एक ही परिवार के सदस्य है एवं उनके पूर्वज गेना पुत्र श्री गुल्ला की कदीयी शिकमी खातेदारी/काश्तकारी की आराजी ग्राम नरवर तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित साबिक ख0न0 2818 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा एवं ख0न0 2819 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा जिसके हाल ख0न0 767, 768, 769, 765, 764, 763 कायम हुए है, पर जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 2021 के कॉलम संख्या 05 में अंकित प्रविष्टि अनुसार ख0न0 2818 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा एवं ख0न0 2819 रकबा 4 बीघा 1 बीघा पर गेना पुत्र श्री गुल्ला मजरा शिकमी मुदत 5 साल अंकित है एवं उक्त आराजी पर बतौर शिकमी कृषक काबिज है जिसका विवरण खसरा गिरदावरी में अंकित है आगे चलकर जमाबंदी सम्वत् 2022 लगायत 2025 में प्रार्थीगण के पूर्वज गेना पुत्र गुल्ला का नाम तर्क कर दिया एवं गिरधरलाल पुत्र गंगादत के नाम दर्ज कर दी गयी। जबकि राज0 काश्तकारी अधिनियम 15.06.58 अर्थात सम्वत् 2015–16 में प्रभाव में आने पर धारा 19 के तहत उसको खातेदारी अधिकार हासिल हो गये। ख0न0 2818 एवं 2819 के बने ख0न0 3155 व 3156 प्रार्थीगण उसके परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज कर दिये गये किन्तु खसरा न0 3198, 3202, 3203 के वर्तमान ख0न0 767, 768, 769, 765 अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दिये गये। इसलिए प्रार्थीगण को वाद प्रस्तुत करना पडा एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दिनांक 09.02.2016 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं दिनांक 09.02.2016 को प्रार्थना पत्र में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी एवं विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिनकी ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए एवं प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 04.08.2022 को प्रस्तुत किया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण गैना वलद गुल्ला के वारिस है एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित ख0 न0 की भूमि जमाबंदी सम्वत् 2018 से 2021 में गेना वलद गुल्ला के शिकमी मुदत 5 साल अंकित है एवं गुल्ला सम्वत् 2013 से उपरोक्त आराजी पर बहैसीयत शिकमी कृषक काबिज है जिसका उल्लेख खसरा गिरदावरी सम्वत् 2014 से 2042 में है। जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 में विधि विरूद्ध अप्रार्थीगण के पूर्वज गिरधारी लाल वल्द गंगादत्त के नाम दर्ज कर दी गयी जबकि उपरोक्त प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थीगण लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है। राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज होने से इसका गलत फायदा उठाते हुए वे प्रकरण में लिप्त भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमदा है जिसे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना आवश्यक है अन्यथा वे विवादित भूमि का बेचान कर देगें जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी कमीपूर्ति संभव नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस करते हुए निवेदन किया कि वक्त सेटलमेन्ट सम्वत् 2010 से 2012 अप्रार्थीगण के पूर्वज गिरधारी लाल वक्त जागीर से ही बहैसियत खातेदार काश्तकार चले आ रहे है जिसका लगातार राजस्व रिकार्ड में अंकन चला आ रहा है। गिरधरलाल जी के स्वर्गवास के पश्चात अप्रार्थीगण विवादित भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार निरन्तर काबिज चले आ रहे है। अप्रार्थीगण के पूर्वज गिरधर लाल द्वारा उक्त भूमि 5 वर्ष के लिए गेना वलद गुल्ला को हासिल (सिजारे) पर काश्त हेतु दी गयी जो 5 वर्ष पूर्ण होते ही वापस ले ली गयी जैसा कि राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज केवल 5 वर्ष की गिरदावरी सम्वत् 2020 से 2022 तक ही गेना की काश्त दर्ज है। गिरदावरी सम्वत् 2014 से 2017 में अप्रार्थीगण के पूर्वज की काश्त दर्ज है तथा लगातार अप्रार्थीगण की काश्त दर्ज है। केवल 5 वर्ष बांटे पर काश्त हेतु दी गयी थी। रिजुमवस ऑफ जागीर एक्ट 1952 अर्थात सम्वत् 2009 मे प्रभाव में आया, उस समय प्रार्थीगण को काश्त दर्ज हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जबकि सम्वत् 2010 से 2012 सेटलमेन्ट पर्चा में गिरधारीलाल वलद गंगादत बतौर खातेदार दर्ज है। तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अजमेर जिले में दिनांक 15/6/58 अर्थात सम्वत् 2015 में प्रभाव में आया उस समय गिरधारीलाल बहैसियत खातेदार काश्तकार चले आ रहे है जो पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व

सहायक कलक्टर (मु0), अज

रिकार्ड से सिद्ध है। धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुतोष प्राप्त करने की समय सीमा केवल 2 वर्ष ही है ऐसी स्थिति मे धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुतोष प्राप्त करने के प्रार्थीगण अधिकारी नहीं है एवं ना ही उनका कोई प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सिद्ध है एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में तथा RRD 1984 पेज 492 का हवाला देते हुए कथन किया कि कोई भी राह चलता व्यक्ति एक रिकार्ड खातेदार को पाबन्द नहीं करवा सकता तथा अन्त में प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस का मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का आघोपांत अवलोकन किया तथा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के आज्ञापक प्रावधानों अर्थात तीनों घटको का अध्ययन करने के उपरान्त उनके परिपेक्ष्य में निर्णय निम्नानुसार हैः–

1. प्रथम दृष्ट्या प्रकरण :– जहां तक पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया अर्थात अजमेर जिले मे दिनांक 15/6/58 को प्रभाव में आया उस दिनांक को अप्रार्थीगण के पूर्वज गिरधारी लाल वल्द गंगादत की खुदकाश्त दर्ज है तथा खतोनी सम्वत् 2018 से 2021 में अप्रार्थीगण के पूर्वज बतौर खातेदार दर्ज है जिसकी प्रविष्टि लगातार चली आ रही है। वर्तमान में अप्रार्थीगण बतौर खातेदार दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी में भी लगातार उनकी काश्त दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत खतौनी सम्वत् 2018 से 2021 में गेना वल्द गुल्ला शिकमी मुद्दत 5 वर्ष अंकित है किन्तु आगे चलकर ना तो जमाबंदी में उनका नाम अंकित है व ना ही खसरा गिरदावरी में कहीं भी उनका विवरण अंकित है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज है ऐसी स्थिति प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण सिद्ध नहीं कर पाये तथा अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

2. सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में लिप्त भूमि के खातेदार अप्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से ही अर्थात जागीर पुनः ग्रहण अधि प्रभाव में आने के समय लगातार चले आ रहे है अतः सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है।

3. अपूरणीय क्षतिः– यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता तो अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण को कारित होगी जैसा कि अप्रार्थीगण पूर्वजों के समय से तथा वर्तमान में भी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है ऐसी स्थिति में उपरोक्त बिन्दु भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है।

प्रार्थीगण तीनों ही बिन्दुओं पर अपना प्रकरण सिद्ध करने में असफल रहे परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विधि संगत नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवाक्षी खाण्डल)
सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर
सहायक कलेक्टर (मु.) अजमेर

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) अजमेर

Scanned with OKEN Scanner